



2019

लोकसभा आम चुनाव

2019

नवीनताएँ एवं सावधानियाँ



2019

# ස්වාධාත්මක

- कृपया अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के पश्चात् ही प्रशिक्षण कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करें।
- चुनाव प्रक्रिया की हर विधा को अच्छी तरह समझाने एवं पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात् ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ें।
- प्रशिक्षण को पूर्णतः गंभीरता से लें एवं प्रशिक्षणोपरांत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) & VVPAT की सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्वयं संचालित करके अवश्य देखें।
- समय—समय पर अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।



○ कृपया प्रशिक्षण कक्ष में  
शान्ति बनाए रखें एवं अपना  
मोबाईल ऑफ अथवा वाइब्रेट  
मॉड पर रखें।



# MAKING ALL ELECTORAL BOOTHS AS NO SMOKING ZONE



**NO Smoking Area**

**Smoking here is an offence**

# मतदाता पहचान हेतु अनुमतः दस्तावेज

## अधिकृत पहचान दस्तावेज

- मतदाता फोटो पहचान पत्र



- पासपोर्ट



- ड्राईविंग लाइसेंस



- केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपकरण/सार्वजनिक निजी कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

- पेन-कार्ड



- भारत के महापंजीयक द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड

- मनरेगा जीव कार्ड



- अम योजना की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

- फोटो सहित पेशान दस्तावेज

- चुनाव मरीनरी द्वारा जारी अधिकृत मतदाता पर्ची



- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र

- आधार कार्ड



4.



# लोक सभा चुनाव 2019 के लिए हो जाएं तैयार। दस्तावेज़ जो मतदान केंद्र पर पहचान के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं।



- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>मतदाता पहचान पत्र</b></p>  |  <p><b>स्मार्ट कार्ड</b><br/>श्रम मंत्रालय की योजना<br/>के अंतर्गत जारी</p>                |
|  <p><b>पासपोर्ट</b></p>   |  <p><b>मनरेगा जॉब कार्ड</b></p>  |
|  <p><b>ड्राइविंग लाइसेंस</b></p>  |  <p><b>स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड</b><br/>श्रम मंत्रालय की योजना<br/>के अंतर्गत जारी</p> |
|  <p><b>सर्विस पहचान पत्र</b><br/>केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपकरण<br/>एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां</p> |  <p><b>पेशन दस्तावेज़</b><br/>फोटो सहित</p>  |
|  <p><b>पासबुक</b><br/>फोटो सहित बैंक/डाकघर<br/>द्वारा जारी</p>                                      |  <p><b>सरकारी पहचान पत्र</b><br/>सांसद, विधायक और विधान<br/>परिषद् सदस्यों को जारी</p>     |
|  <p><b>पैन कार्ड</b></p>  |  <p><b>आधार कार्ड</b></p>  |



**#GoVerify**

मतदाता कोई मतदाता न छूटे

ध्यान दें

फोटो वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन  
के लिए उपयोग किया जा सकता है,  
लेकिन पहचान प्रमाण के रूप में नहीं।




# महत्वपूर्ण

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA		
<b>DOs</b>	<b>DON'Ts</b>	
 <p>हमेशा लाईन में रहें और अपनी वारी का इंतजार करें।</p>	 <p>अपने मत के लिये रिश्वत मत लो, रिश्वत एक अपराध है।</p>	 <p>दूरभाष प्रतिबंधित</p>
 <p>हमेशा मतदान केन्द्र के अन्दर और बाहर शांति बनायें रखें।</p>	 <p>किसी और के लिये प्रतिरूपण नहीं करें, प्रतिरूपण एक दण्डनीय अपराध है।</p>	 <p>धूम्रपान वर्जित</p>
 <p>भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पेनल नं 0 4 के अनुसार फोटो पहचान पत्र दिखायें।</p>	 <p>चुनाव प्रक्रिया में वाधा नहीं डालें, यह दण्डनीय अपराध है।</p>	 <p>आग व हथियार प्रतिबंधित</p>
 <p>मतदान के लिए निर्देशों की पालना करें।</p>	 <p>ईवीएम एवं वीवीपेट सहित चुनाव सामग्री की क्षति / छेड़छाड़ नहीं करें। यह दण्डनीय अपराध है।</p>	 <p>फोटोग्राफी प्रतिबंधित</p>
 <p>मतदान दलों के प्रति स्थिरता रखें क्योंकि ये आपके मतदान की सुविधा के लिए यहाँ पर हैं।</p>	 <p>मतदान दल को अपना कर्तव्य सम्पादित करने में वाधा नहीं डालें। यह दण्डनीय अपराध है।</p>	 <p>सहायता लाईन 1950</p>

# मतदान केन्द्र की जानकारी मतदान कक्ष के बाहर चर्चा करें

भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA	
• विधानसभा क्षेत्र (संख्या / नाम)	_____
• मतदान केन्द्र (संख्या / नाम)	_____
• कुल मतदाता	_____
• मतदान केन्द्र की स्थिति	_____
• पीयासान अधिकारी (संख्या / नाम)	_____
• वृथ लेवल अधिकारी (संख्या / नाम)	_____
• रिटर्निंग अधिकारी (नाम एवं दूरभाष नंबर)	_____
• जिला निर्वाचन अधिकारी (नाम एवं दूरभाष नंबर)	_____
• सामाजिक निर्वाचन पर्यावरक (नाम एवं दूरभाष नंबर)	_____
मतदान केन्द्र का सेवा	
<p>1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी / CHIEF ELECTORAL OFFICER राज्य : राजस्थान State : Rajasthan मतदान दिवस: 7/12/2018   मतदान समय: प्रातः ..... से सायंकाल ..... तक।</p>	



# पीठासीन अधिकारी अपना मोबाइल समयबद्ध सूचनाओं के अग्रेषण हेतु पंजीकृत कराएँ

लोकसभा आमदानी-2019

मतदान दिवस को पीठासीन अधिकारी हारा SMS के माध्यम से मतदान की सूचना प्रेषित करने की कार्यप्रणाली की जानकारी

एस.एम.एस. नेजने का नं. : 9680999899

विद्यानसना क्षेत्र का नाम :

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	SMS नेजने का प्रारूप	चाहरण
पीठासीन अधिकारी एवं बूथ लेविल अधिकारी के मोबाइल नं. के पंजीकरण करने का विवरण -				
1.	पीठासीन अधिकारी का पंजीकरण (मतदान दिवस से 2-3 दिन पूर्व)		POLLRJ<space>AC No.<space>PS No.<space>Verification Code मूल मतदान केन्द्र के लिये सहायक मतदान केन्द्र के लिये	POLLRJ 98 7 897 POLLRJ 98 7A 897
उपरोक्त चाहरण में 98, सन्दर्भित विद्यानसना का नाम, तथा 7 सन्दर्भित मतदान केन्द्र संख्या एवं 897 सन्दर्भित विद्यानसना क्षेत्र का वैरिफिकेशन कोड है।				
पीठासीन अधिकारी हारा समय-समय पर प्रेषित किये जाने वाले एस.एम.एस. का विवरण -				
क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी हारा प्रेषित किये जाने वाले एस.एम.एस. का विवरण	एस.एम.एस. करने का दिनांक	एस.एम.एस. करने का समय	SMS नेजने का प्रारूप
1.	मतदान दल के मतदान केन्द्र पर सुरक्षित रूप से पहुँचने पर।	मतदान दिवस	मतदान दल के मतदान केन्द्र पर पहुँचने के तुरंत बाद।	POLLRJ<space>SAP
2.	नौक पोल एवं नौक पोल के समय उपस्थित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की सूचना।	मतदान दिवस	नौक पोल होने के तुरंत बाद तथा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व।	POLLRJ<space>MP<space>नौक पोल के समय बूथ पर उपस्थित राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की कुल संख्या
3.	मतदान प्रारंभ होने की सूचना।	मतदान दिवस	प्रातः 7:15 बजे	POLLRJ<space>PS
4.	प्रातः 9:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	प्रातः 9:00 बजे तक	POLLRJ<space>9<space>प्रात 9.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
5.	प्रातः 11:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	प्रातः 11:00 बजे तक	POLLRJ<space>11<space>प्रात 11.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
6.	दोपहर 1:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	दोपहर 1:00 बजे तक	POLLRJ<space>1<space>दोपहर 1.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
7.	दोपहर 3:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	दोपहर 3:00 बजे तक	POLLRJ<space>3<space>दोपहर 3.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
8.	सायं 5:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	सायं 5:00 बजे तक	POLLRJ<space>5<space>सायं 5.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
9.	सायं 6:00 बजे तक बूथ पर द्वारा मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	सायं 6:00 बजे तक	POLLRJ<space>5<space>सायं 6.00 बजे तक बूथ पर मतदान कर चुके मतदाताओं की कुल संख्या
10.	सायं 6:00 बजे पश्चात बूथ पर कतार में शोध रहे मतदाताओं की सूचना।	मतदान दिवस	सायं 6:15 बजे तक	POLLRJ<space>Q<space>सायं 6.00 बजे पश्चात बूथ पर मतदान द्वारा लाइन में लगे शोध मतदाताओं की कुल संख्या
11.	बूथ पर द्वारा कुल मतदान की अंतिम मतदान की सूचना।	मतदान दिवस	मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद	POLLRJ<space>VT<space>मतदान पश्चात बूथ पर मतदान कर चुके कुल मतदाताओं की कुल संख्या
12.	मतदान के पश्चात मतदान दलों का	मतदान दिवस	मतदान दलों के ई.पी.एन.	POLLRJ<space>SAR

# विजिट शीट



- ❖ यह प्रारूप पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
- ❖ विजिट शीट में मजिस्ट्रेट्स / डी.ई.ओ./आर.ओ./ए.आर.ओ. एवं पर्यवेक्षकगण अपनी विजिट के समय प्रविष्टियां करेंगे।
- ❖ यह विजिट शीट पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ नक्तीबद्ध कर दी जाएगी एवं मतदान समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ संबंधित लिफाफे में ही जमा करवा दी जाएगी।

## निरीक्षण प्रपत्र

मतदान की लिंग

विधान सभा निवाचित क्षेत्र का नाम और संख्या :

मतदान सचिव का नाम और संख्या :

निवाचितों की संख्या :

क्र.सं.	निरीक्षण करने वाले अधिकारी (पर्यवेक्षक/जिले.अ./रिटर्निंग ऑफिसर/निवाचित पंजीयन पदाधिकारी/सीक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट/प्रदोलिंग मजिस्ट्रेट) का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण का समय	मतदान प्रक्रिया (शासितपूर्ण/घटनाएं यादि कोई हो) का संक्षिप्त विवरण	निरीक्षण के समय तक डाले गए मतों की संख्या	टिप्पणी, यादि कोई हो	अधिकारी के हस्ताक्षर
				निरीक्षण के समय तक डाले गए मतों का ..... %।		




यह प्रारूप भी पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। 2019

यह प्रपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी की डायरी के साथ मतदान समाप्ति के पश्चात् वांछित लिफाफे में काउण्टर संख्या 01 पर जमा करवाया जाएगा।

ECI Form ID PS- 05	<b>Election Commission of India</b> Vidhan Sabha General Election - 2018			<b>IMPORTANT NOT TO BE SENT TO THE COMMISSION</b>																																																																																																													
<b>VOTER TURNOUT REPORT FOR POLLING STATION</b>																																																																																																																	
A) Parliamentary Constituency No & Name		B) State Name		RAJASTHAN																																																																																																													
C) Assembly Segment No. & Name		D) Polling Station No. & Name																																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1. Date of Poll :-</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>2. Total no. of CUs ( Control Units) Used</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Total no. of BUs (Ballot Unit Used)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Total no. of VVPAT Used</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>3. No. of Candidates whose Polling Agents were present at the time of Mock Poll</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>4. No. of Voters (as per voter list)</td> <td style="text-align: center;">Male</td> <td style="text-align: center;">Female</td> <td style="text-align: center;">Transgender</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Voter turnout, votes to be found in the EVM as per Item 6 of Form 17C of Conduct of Election Rules, 1961</td> <td style="text-align: center;">Male</td> <td style="text-align: center;">Female</td> <td style="text-align: center;">Transgender</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. No. of Test Votes recorded in EVM under rule 49 MA(d)</td> <td style="text-align: center;">Male</td> <td style="text-align: center;">Female</td> <td style="text-align: center;">Transgender</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. No. of voters who cast votes by using EDC</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>8. No. of votes polled by voters of age group 18-19 yrs</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>9. No. of votes polled by voters of age group 20-25 yrs</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>10. No. of Voters identified using the Photo Voter Slip</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>11. No. of Voters identified with the help of Electors Photo Identity Cards (EPICs)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>12. No. of Voters identified using other Identification Documents*</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>13. No. of Tendered Votes Casted</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>14. No. of votes polled by the voters included in ASD list</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>15. No. of Votes Polled by Persons with Disabilities(PwDs) or Divyangjan with Visually Impaired who votes by</td> <td style="text-align: center;">Hearing Disabilities</td> <td style="text-align: center;">Loco motor Disabilities</td> <td style="text-align: center;">Other Disabilities</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dummy Ballot Sheet in Braille</td> <td style="text-align: center;">with help of companion.</td> <td style="text-align: center;">with both facilities of Brail Signage and help of companion.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1. Date of Poll :-						2. Total no. of CUs ( Control Units) Used						Total no. of BUs (Ballot Unit Used)						Total no. of VVPAT Used						3. No. of Candidates whose Polling Agents were present at the time of Mock Poll						4. No. of Voters (as per voter list)	Male	Female	Transgender	Total		5. Voter turnout, votes to be found in the EVM as per Item 6 of Form 17C of Conduct of Election Rules, 1961	Male	Female	Transgender	Total		6. No. of Test Votes recorded in EVM under rule 49 MA(d)	Male	Female	Transgender	Total		7. No. of voters who cast votes by using EDC						8. No. of votes polled by voters of age group 18-19 yrs						9. No. of votes polled by voters of age group 20-25 yrs						10. No. of Voters identified using the Photo Voter Slip						11. No. of Voters identified with the help of Electors Photo Identity Cards (EPICs)						12. No. of Voters identified using other Identification Documents*						13. No. of Tendered Votes Casted						14. No. of votes polled by the voters included in ASD list						15. No. of Votes Polled by Persons with Disabilities(PwDs) or Divyangjan with Visually Impaired who votes by	Hearing Disabilities	Loco motor Disabilities	Other Disabilities			Dummy Ballot Sheet in Braille	with help of companion.	with both facilities of Brail Signage and help of companion.			
1. Date of Poll :-																																																																																																																	
2. Total no. of CUs ( Control Units) Used																																																																																																																	
Total no. of BUs (Ballot Unit Used)																																																																																																																	
Total no. of VVPAT Used																																																																																																																	
3. No. of Candidates whose Polling Agents were present at the time of Mock Poll																																																																																																																	
4. No. of Voters (as per voter list)	Male	Female	Transgender	Total																																																																																																													
5. Voter turnout, votes to be found in the EVM as per Item 6 of Form 17C of Conduct of Election Rules, 1961	Male	Female	Transgender	Total																																																																																																													
6. No. of Test Votes recorded in EVM under rule 49 MA(d)	Male	Female	Transgender	Total																																																																																																													
7. No. of voters who cast votes by using EDC																																																																																																																	
8. No. of votes polled by voters of age group 18-19 yrs																																																																																																																	
9. No. of votes polled by voters of age group 20-25 yrs																																																																																																																	
10. No. of Voters identified using the Photo Voter Slip																																																																																																																	
11. No. of Voters identified with the help of Electors Photo Identity Cards (EPICs)																																																																																																																	
12. No. of Voters identified using other Identification Documents*																																																																																																																	
13. No. of Tendered Votes Casted																																																																																																																	
14. No. of votes polled by the voters included in ASD list																																																																																																																	
15. No. of Votes Polled by Persons with Disabilities(PwDs) or Divyangjan with Visually Impaired who votes by	Hearing Disabilities	Loco motor Disabilities	Other Disabilities																																																																																																														
Dummy Ballot Sheet in Braille	with help of companion.	with both facilities of Brail Signage and help of companion.																																																																																																															
<small>I authenticate the data given above and certify that copies of filled Form 17C have been handed over to Polling Agents after close of Poll and one copy is enclosed here with this letter.</small>																																																																																																																	
<small>(Presiding Officer's Signature) Name :- Mobile No.</small>																																																																																																																	
<small>*Note:- चुनाव आयोग द्वारा जन्य दस्तावेजों के आधार पर चिन्हीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर ही सुलगा चरी जाए।</small>																																																																																																																	
<small>This copy is to be handed over to the Statistical Officer-in Charge of Collection Centre where EVM are to be deposited.</small>																																																																																																																	

## दूसरी बैलट यूनिट का प्रयोग



"थम्ब व्हील विंडो" में क्रमशः 01 व 02 जाँच लें। एकाधिक बैलट यूनिट इस्तेमाल होने स्थिति में क्रमांक 02 बैलट यूनिट को

क्रमांक 01 बैलट यूनिट से तथा क्रमांक 01 बैलट यूनिट को VVPAT से जोड़ा जाएगा और VVPAT को कण्ट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा, इनके संयोजन का अच्छा अभ्यास करना न भूलें।

# VVPAT ALERT

## ❖ VVPAT अत्यधिक संवेदनशील है-

- ✓ इसके संचालन, परिवहन व भण्डारण में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए।
- ✓ VVPAT को खुले में व तेज रोशनी के ऋत की दिशा अथवा ठीक नीचे न रखें, ऐसा करने से इसके खराब होने की प्रबल संभावना है।
- ✓ VVPAT परिवहन के समय इसे वाहन के इंजिन के पास / ऊपर भूलकर भी न रखें।
- ✓ VVPAT के परिवहन के समय इसके पृष्ठ भाग में स्थित नॉब को आड़ा रखें।

# VVPAT ALERT

## ❖ VVPAT अत्यधिक संवेदनशील है—

- ✓ इसके संचालन की प्रक्रिया को प्रशिक्षण में भली-भाँति समझ लें और इससे संबंधित हर शंका का समाधान करके ही प्रशिक्षण स्थल छोड़ें।
- ✓ VVPAT के पेपर सेक्शन को दोनों ओर से निर्वाचन अधिकारी द्वारा एड्रेस टैग द्वारा सीलबंद किया जाएगा, मतदान दल इसे जाँचकर संरक्षित रखेंगे।
- ✓ दिखावटी मतदान की समाप्ति के पश्चात् इसके स्लिप ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियाँ निकालकर निर्देशानुसार संरक्षित की जानी चाहिए।
- ✓ वारस्तविक मतदान से पूर्व वीवीपैट के स्लिप ड्रॉप बॉक्स को एड्रेस टैग लगाकर सीलबंद करना न भूलें।

# EVM ALERT

- दिखावटी मतदान से पूर्व मतदान दल **EVM** की तीनों इकाइयों CU BU & VVPAT को किसी भी स्थिति में जोड़कर ऑन न करें क्योंकि यह निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्णतः जाँच—परखकर ही मतदान दल को दी जाएगी।
- मतदान मशीन CU BU & VVPAT की वास्तविक मतदान हेतु तैयारी से पूर्व एवं मतदान समाप्ति के उपरान्त कंट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच ऑफ करना न भूलें।
- ❖ विधानसभा चुनाव 2018 में मतदान मशीन का अत्याधुनिक मॉडल M 3 काम में लिया जाएगा, जो पूर्व से पूर्णतः भिन्न है। मतदान दल के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से इसकी कार्यप्रणाली को भली—भाँति गहनता से समझ लें और स्वयं संचालित करके देख लें।
- ❖ CU BU & VVPAT संचालन एवं कार्यप्रणाली से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही प्रशिक्षण रथल छोड़ें।

# VVPAT

**राजस्थान  
प्रभागीय चुनाव 2018**

**वीवीपेट**

**मतदाता वेरिफायब्रन पेपर ऑडिट ड्रैग**



**इयान दें**  
यह पचीं 7 सेकंड तक  
चीज़ से दिखने के बाद  
अपने आप कटकर पिंटर  
के डॉप बॉक्स में चली  
जायेगी

**खपी हुई पर्ची पर**  
मतदाता द्वारा चुने गए  
उम्मीदवार का नाम,  
नाम  
एवं चुनाव चिन्ह अंकित होता

**पुष्टि**

ईवीएम से जुड़कर वीवीपेट मतदाता के मत की पुष्टि करता है  
मतदान के लिए बैलट यूनिट का नीला बटन दबाते ही  
वीवीपेट से 7 सेकंड के लिए दिखने वाली  
छपी हुई पर्ची को देखकर मतदाता  
अपने मत की पुष्टि कर सकते हैं

वीवीपेट से यह बैलट पर्ची केवल / बैकपट के लिए ही दिखाई देती  
उसके बाद अपने आप कटकर पिंटर के डॉप बॉक्स में चली जायेगी और बौप की आवाज सुनाई देगी

निला चिर्चिचन अधिकारी (स्ट्रीप), पाली  
द्वारा चनहित में जारी

# WPAT

**वीवीपेट से मतदान कैसे करें**

1. मतदान केंद्र में प्रवेश करें  
पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलट यूनिट को मत देने योग्य बनाया जायेगा
2. मतदान प्रक्रोष्ट में जाकर बैलट यूनिट पर जन रही हरी लाइट को देखें
3. बैलट यूनिट पर अंकित अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह के सामने का नीला बटन दबाकर अपना मत दें
4. बैलट यूनिट के पास रखी हुई वीवीपेट यूनिट के शीशे की खिड़की से एक पचीं प्रिंट होकर दिखेगी
5. इस पचीं पर मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार का नाम, क्रमांक एवं चुनाव चिन्ह अंकित होंगे

आपके द्वारा दबाये गए बटन के सामने की लाल लाइट जलेगी

इसका प्रिंट आउट आपको नहीं दिया जाएगा

वीवीपेट से यह बैलट पचीं केवल 7 सेकण्ड के लिए ही दिखाई देगी उसके बाद अपने आप कटकर प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाएगी और प्रिंट की आवाज सुनाई देगी

जिला निर्वाचन अधिकारी (स्वीप), पासा बनाहिं में जारी

यदि आपको बोयं को तेज आवाज मिलाई नहीं दी जाती तो तुरंत पीठासीन अधिकारी को सूचित करें

Bihar Election Commission, Bihar, India

# WPAT

**प्र. वीवीपेट क्या है ?**



**प्र. यह कैसे कार्य करता है ?**



**उ.** मत देते ही वीवीपेट से एक पर्चा छपती है जो 7 सेकण्ड के लिए दिखती है और फिर अपने आप कटकर वीवीपेट के ड्रोप बॉक्स में चली जाती है। साथ ही तेज बीप की आवाज सुनाई देती है।

**उ.** वीवीपेट ईवीएम के साथ जुड़कर यह पुष्टि करता है कि मतदाता का मत उनके इच्छित उम्मीदवार को ही गया है।

**प्र. वीवीपेट पर्चा में क्या प्रिंट होता है?**

**उ.** इस पर्चा पर मतदाता द्वारा चुने गये

- उम्मीदवार की कम संख्या
- उम्मीदवार का नाम
- उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह

प्रिंट होता है।



वीवीपेट के पेपर रोल को एक बार के चुनाव में 1500 पर्चियाँ प्रिंट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

पुष्टि
संतुष्टि
विश्वास



जिला नियोग आधिकारी (स्वॉप), पाली  
द्वारा जनहित में जारी  
Designed By: SURENDRA JAIN, AOH, EVM2, PAU



# अति महत्वपूर्ण

- वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व खराब यूनिट को ही बदला जाएगा।
- वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के बाद BU अथवा CU में से कोई भी खराब होने की स्थिति में पूरा सेट ही बदला जाएगा।
- वास्तविक मतदान से पूर्व अथवा पश्चात् VVPAT खराब होने पर केवल VVPAT को ही बदला जाएगा।
- VVPAT को बदलने पर दिखावटी मतदान दुबारा नहीं करना है।
- पूरा सेट बदलने की स्थिति में दिखावटी मतदान फिर से नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को 1—1 मत डालकर ही करना है और इस आशय का प्रमाण—पत्र भी जारी करना है।
- EVM & VVPAT अत्यधिक संवेदनशील है, इसे तेज गर्मी, तेज रोशनी, पानी, धूल व परिवहन में झटकों से बचाकर रखें।

- चुनाव से सम्बद्ध अधिकारियों एवं मतदान दल के साथियों के मोबाईल नम्बर पहली मुलाकात में परिचय के साथ ही संकलित करें।
- सामग्री संकलन करते ही उसे चैक लिस्ट के माध्यम से अपने दल के सभी साथियों के साथ अच्छी तरह जाँच लें कि वह आपके मतदान केन्द्र से ही संबंधित व सूची अनुसार व उल्लिखित मात्रा में ही है, किसी भी प्रकार की शंका का समाधान अविलम्ब करें।
- मतदान दल किसी का आतिथ्य स्वीकार न करे, मतदान दल की कार्यप्रणाली एवं व्यवहार से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता प्रदर्शित होनी चाहिए।
- नियुक्ति स्थल के लिए निर्देशित वाहन एवं मार्ग से ही पहुँचे और चैक पोस्ट पर उपरिथिति दर्ज करवाना न भूलें।

# पिंक पेपर सील

- इस चुनाव में कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट दोनों पर ही अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक—एक पिंक पेपर सील लगाई जाएगी।
- यह पेपर सील एक स्टीकर के रूप में है, जिसे चिपकाकर काम में लिया जाता है।
- प्रत्येक पिंक पेपर सील का एक यूनिक क्रमांक है, जिसका पूर्ण विवरण संधारित किया जाएगा।
- पिंक पेपर सील की सुरक्षा का दायित्व मतदान इल का होगा।



# PINK PAPER SEAL

- पिंक पेपर सील बैलेट यूनिट पर नोटा के पश्चात् तथा कण्ट्रोल यूनिट पर उम्मीदवार खण्ड तथा परिणाम खण्ड के मध्य में लगी होगी।
- पिंक पेपर सील निर्वाचन अधिकारी द्वारा EVM की दोनों यूनिट्स पर लगाई जाएगी, जिसे संरक्षित रखा जाए।
- पिंक पेपर सील मतदान दल को मॉक पोल स्लिप प्लास्टिक बॉक्स पर भी लगानी है।

- ❖ मतदान दिवस पर मतदान से 75 मिनट पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित हों एवं एक घण्टा पूर्व दिखावटी मतदान (**Mock Poll**) प्रारम्भ करें, मतदान अभिकर्त्ताओं को भी इस आशय की लिखित सूचना देकर हस्ताक्षर लेना न भूलें।
- ❖ एक भी अभिकर्ता के नहीं पहुँचने की स्थिति में 15 मिनट प्रतीक्षा की जा सकती है।

# MOCK-POLL

- नमूना मतदान में न्यूनतम 50 मत (नोटा सहित) उपस्थित अभिकर्त्ताओं से सभी उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर—बराबर अंकित करवाएँ, इस आशय का प्रमाण—पत्र दो प्रतियों में जारी करें, एक प्रति प्रथम भ्रमण पर सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध कराएँ।
- यदि आपके बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त है, तो मॉक—पोल प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर अंकित कराएँ।

# MOCK-POLL

- × नमूना मतदान मे EVM (CU BU & VVPAT) वास्तविक मतदान की भाँति स्थापित रहेंगी।
- × नमूना मतदान के दौरान दो मतदान अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में BU & VVPAT के पास रहकर निर्देशानुसार नमूने का मतदान में सम्पन्न करवाएंगे।
- × नमूना मतदान में सम्मिलित होने हेतु मतदान अभिकर्त्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करते समय ही मतदान के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व उपस्थित होने का लिखित अनुरोध करते हुए हस्ताक्षर ले लें।
- × निर्धारित समय तक अभिकर्त्ताओं के उपस्थित नहीं होने पर अधिकतम 15 मिनट प्रतीक्षा की जा सकती है, तत्पश्चात् मतदान दल के सदस्य ही निर्देशानुसार नमूना मतदान सम्पादित करें।

# दिखावटी मतदान प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं

पीठार्सीन अधिकारी ने

संसदीय निवाचन केंद्र के अधीन विधानभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र से

पर भारत निवाचन आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निवेशों का निष्ठापूर्वक पालन करके निम्नलिखित का उपयोग करते हुए सम्बोधन दिवस अर्थात्

(तारीख) को आज

a. m. पर दिखावटी मतदान

संचालित किया है:-

कन्ट्रोल यूनिट की क्रम सं. (जैसा कि कन्ट्रोल यूनिट के पृष्ठ-भाग पर दुष्टिः है) बैलेट यूनिट की क्रम सं. (जैसा कि बैलेट यूनिट के पृष्ठ-भाग पर दुष्टिः है) वीडीोपेट(VVPAT) यूनिट की क्रम सं. (यदि प्रयुक्त होती है)

1. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए और "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) के लिए भी कुल मत डाले गये।

2. यह रात्यापात्र विचार गया कि जब बदला दवाया गया तो सही अभ्यर्थी / "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बदल के लिए इल. डी. लाइट जली और बीप की आवाज भली भांति सुनी गयी।

3. दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों और दर्शित परिणामों का अभ्यर्थी-वार ब्यौवा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	दिखावटी मतदान के दौरान डाले गये मतों की संख्या	परिणाम की जाँच करने पर कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित मतों की संख्या	दिखावटी मतदान के परिणाम की जाँच की गणनाप्राप्त भूषित कागज की परिवेश की संख्या (यदि वीडीोपेट प्रयुक्त होती है)	जाले गये मतों और दर्शित परिणामों का परिवेश की गणना (यदि वीडीोपेट प्रयुक्त होती है) एक-दूसरे से निलान किया गया (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6
	इनमें से कोई नहीं (NOTA)				
	योग				

रात्यापात्र किया है कि Total बदल दवान पर समरत भासा प्रष्ट किया है और योग ० के रूप में दर्शाता हो गया है।

दिखावटी मतदान के समय पर अभ्यर्थी, जिनके नाम ऐसे अधिकारियों के नामों के सामने वर्णित हैं, का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित मतदान अधिकारी उपस्थित थे और उन्हें इनके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये हैं।

क्रम सं.	मतदान अधिकारी का नाम	दल का नाम	अभ्यर्थी का नाम	मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

अश्वा

दिखावटी मतदान के लिए नियत समय पर कोई मतदान अधिकारी उपरिख्यात नहीं था/केवल निवाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी का अधिकारी उपरिख्यात था। पद्धति और प्रतीक्षा करने के पश्चात, मैंने अन्य मतदान कर्मचारियों के साथ

6. वास्तविक मतदान के आरंभ के समय कन्ट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दर्शित मतदान आरंभ होने के तारीख और समय (2006 के पश्चात की इ.सी.एम. के मामले में भव्य जाना है)

सूझ-प्रेषक (Micro Observer) (यदि मतदान केन्द्र पर पदस्थापित है) के नाम व हस्ताक्षर

दिनांक :


समय :

पीठार्सीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं.

मतदान केन्द्र का नाम


# VVPAT ड्रॉप बॉक्स खाली करना




दिखावटी मतदान सम्पन्न होने पर  
VVPAT ड्रॉप बॉक्स में से  
दिखावटी मतदान की पर्चियाँ  
निकालकर इसे खाली करें और  
पर्चियों के पृष्ठ भाग पर

MOCK POLL  
SLIP

"मॉक पोल स्लिप" मुहर लगाकर<sup>1</sup>  
निर्देशानुसार 24 नम्बर काले  
लिफाफे में सील करें फिर प्लास्टिक  
बॉक्स में रखकर हस्ताक्षरित पिंक  
पेपर सील लगाएँ।



24 नम्बर काला लिफाफा



Plastic Box



- ❖ पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी का संधारण अनवरत जारी रखें।
- ❖ समय—समय पर मतदाता रजिस्टर 17क और मतदान मशीन के योग का मिलान करते रहें।

- पूरक निर्वाचक नामावली में संक्षिप्त चिह्न—
- ✓ **E- Expired** (मृत्त)
- ✓ **S- Shifted** (स्थानांतरित)
- ✓ **Q- DisQualified** (अयोग्य)
- ✓ **R- Repeat** (पुनरावृत्ति)
- ✓ **M-Missing** (लुप्त)
- ✓ **# - Hash** (मूल मतदाता सूची में शुद्धिकरण, पूरक सूची देखें।)

- दिव्यांग मतदाता को वरीयता से मतदान करवाया जाए ।
- 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ससम्मान वरीयता देकर मतदान करवाया जाए एवं इन्हें चाहने/कहने अथवा माँगने पर साथी की सहायता से मतदान की अनुमति दी जाए ।
- दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सहयोग किया जाए ।
- उपर्युक्त वर्णित सभी मतदाताओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाए ।

- ❖ प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान हेतु सर्वप्रथम उसकी तर्जनी जाँच लें एवं गहनता से पहचान स्थापित करें।
- ❖ मतदाता के नाम के स्थान पर निर्वाचक नामावली में मतदाता के क्रमांक को जोर से उच्चारित करेगा, जिससे अभिकर्ता सहज सुन सकें और आपत्ति हो तो दर्ज करा सकें। मतदाता की पहचान संबंधी आपत्ति इसी स्तर पर ही दर्ज करवाई जा सकेगी।





○ प्रथम मतदान अधिकारी, मतदाता द्वारा लाई जाने<sup>2019</sup>

वाली शासकीय पर्ची की फोटो सहित समस्त प्रविष्टियों की पुष्टि अनिवार्य रूप से मतदाता सूची से करने से पूर्व अधिकृत दस्तावेजों में से किसी एक से ही मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेगा और शासकीय पर्ची को अपने पास रख लेगा, मतदान हेतु लोकसभा चुनाव में शासकीय पर्ची को अधिकृत दस्तावेजों की सूची में से हटा दिया गया है।

# VOTER LIST



❖ फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में मताधिकार का प्रयोग करने वाले समस्त मतदाताओं के नाम को रेखांकित न करके, फोटो को छोड़ते हुए ऊपरगामी लाल तिरछी रेखा (↗) खींचनी है एवं महिला मतदाता के लिए ऊपरगामी तिरछी रेखा के साथ ही नामांक पर गोला 0 भी बनाना है।







➤ द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान हेतु सर्वप्रथम उसकी तर्जनी अँगुली को कपड़े से साफ कर अमिट स्याही लगाए और तत्पश्चात् मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि व मतदाता पर्ची जारी करें।

# अमिट रस्याही

- ✓ अमिट रस्याही मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली [Index Finger] पर ही लगाई जाएगी, परन्तु केवल एक बिंदु मात्र लगाने के स्थान पर अंगुली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारम्भ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप में लगाई जाएगी।
- ✓ इस कारण पहले से अधिक मात्रा में अमिट रस्याही मतदान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी।



- चुनिंदा मतदान केन्द्रों की मतदान प्रक्रिया  
का सीधा प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से  
किया जाएगा।
  
- वेबकास्टिंग वाले मतदान केन्द्रों पर मतदान  
दल अपना कार्य अतिरिक्त सतर्कता से  
सम्पादित करे।

## मतदाता पर्वी

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के  
अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या.....

निर्वाचक नामावली में यथा प्रविष्ट निर्वाचक  
की क्रम संख्या .....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर .....

# VOTER SLIP

- द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को मताधिकार हेतु जारी की जाने वाली मतदाता पर्ची विधिक दस्तावेज है, इसे अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा एवं समस्त मतदान पर्चियाँ तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदान के क्रम में ही संरक्षित की जाएंगी।
- मतदान समाप्ति पर क्रमशः संकलित समस्त पर्चियों को सुव्यवस्थित रूप से निर्धारित लिफाफे में सीलबन्द किया जाएगा।

# महत्वपूर्ण

- ✓ किसी भी स्थिति में अपराह्न 03.00 बजे के पश्चात् मतदान कक्ष नहीं छोड़ सकेंगे और न ही उनके द्वारा प्रयुक्त निर्वाचक नामावली पूरे दिन में बाहर ले जाई जाएगी। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व ही इस प्रावधान से मतदान अभिकर्त्ताओं को अनिवार्य रूप से अवगत करा दें।
- ✓ मतदान अभिकर्त्ता पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदत्त बैज़ एवं निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) मतदान के समय अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करते हुए धारण करेगा।
- ✓ मतदान कक्ष में एक समय में एक राजनीतिक दल का एक मतदान अभिकर्त्ता ही उपस्थित रह सकेगा।
- ✓ मतदान अभिकर्त्ताओं के आवागमन संबंधी रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में अवश्य रखें।

# POSTAL BALLOT

- ✓ मतदान है हर जागरुक नागरिक की पहचान,  
इसलिए—
- ✓ मतदान दल से सम्बद्ध कार्मिक अपने मताधिकार  
के उपयोग हेतु

*EDC* अथवा डाक मतपत्र (Postal Ballot)  
प्राप्ति के लिए

फार्म सं. 12 में आवेदन करना न भूलें।

[प्ररूप 12]

[नियम 19 और 20 देखिये]

(डाक मतपत्र हेतु)

## रिटर्निंग ऑफिसर को प्रज्ञापना-पत्र

प्रेषिती :-

विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर  
महोदय,  
मैं ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा/लोक  
सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक बारा देना चाहता हूँ।  
मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली  
में समाविष्ट ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्टि है।  
मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:-  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

स्थान .....  
दिनांक .....

भवदीय,

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का.आ. 3662, तारीख 12 अक्टूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित।



[प्ररूप 12क  
[नियम 20 (2) देखिये]

## निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण—पत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती :-

रिटर्निंग ऑफिसर

..... विधान सभा/राजसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

महोदय,

मैं ..... विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से विधान सभा/लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत रखयें देना चाहता हूँ।

मुझे निर्वाचन—क्षेत्र में ..... (मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम) में निर्वाचन—कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम ..... राजसदीय निर्वाचन—क्षेत्र में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ..... में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप 12—ख में एक निर्वाचन—कर्तव्य प्रमाण—पत्र, उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन में कर्तव्यारूढ़ रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाए।

यह प्रमाण—पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:-

स्थान .....

भवदीय,

दिनांक .....

.....

.....

# ASD LIST (ABSENTEE, SHIFTED, DEAD)

- ❖ ASD सूची पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
- ❖ पीठासीन अधिकारी ASD सूची के प्रावधान एवं प्रक्रिया की जानकारी मतदान अभिकर्ताओं को अवश्य दें।
- ❖ ASD नामित मतदाता के आने पर उनकी पहचान EPIC एवं अधिकृत दस्तावेजों में से ही सुनिश्चित होगी।
- ❖ ऐसे मतदाताओं की पृथक सूची बनाई जाएगी।
- ❖ ऐसे मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होने पर उनसे एक घोषणा—पत्र अवश्य भरवाया जाए।



2019

## ASD LIST (ABSENTEE, SHIFTED, DEAD)

- ✓ ASD सूची प्रथम मतदान अधिकारी ASD सूची से सम्बद्ध मतदाता का नाम जोर से उच्चारित करते हुए, इसकी जानकारी मतदान अभिकर्त्ताओं को अवश्य दे।
- ✓ ASD सूची में नामित मतदाता का 17-क के चौथे कॉलम में बाएँ अँगूठे का निशान अनिवार्य रूप से लें, मतदाता भले ही हस्ताक्षर अंकित करे।
- ✓ संवेदनशील केन्द्रों पर ऐसे मतदाता की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जाए, माइक्रो-ऑफिसर इस प्रक्रिया की अनुपालना का पर्यवेक्षण करेंगे।



## તૃતીય મતદાન અધિકારી

2019

- ✓ તૃતીય મતદાન અધિકારી સર્વપ્રથમ મતદાતા કી બાઈ તર્જની પર અમિટ સ્થાહી કા નિશાન દેખે ।
- ✓ દ્વિતીય મતદાન અધિકારી દ્વારા જારી પર્ચી કો જિસ ક્રમ મેં મતદાતા ઉસકે પાસ આએ, ઉસી ક્રમ મેં ઉસે સંકલિત કરે ।
- ✓ પૂર્ણતઃ સતર્ક રહે કી કોઈ મતદાતા બિના મત દિએ ન ચલા જાએ ।
- ✓ મતદાતા કે વોટિંગ કમ્પાર્ટમેન્ટ સે પ્રસ્થાન કે બાદ હી અગલે મતદાતા કે લિએ કન્ટ્રોલ યૂનિટ સે મત જારી કરે ।
- ✓ કોઈ મતદાતા બીપ ધ્વનિ કે બાદ વોટિંગ કમ્પાર્ટમેન્ટ મેં ન ઠહરે ઔર પ્રસ્થાન કે પશ્ચાત્ પુનઃ વોટિંગ કમ્પાર્ટમેન્ટ કી ઓર ન આએ ।



# काउन्टर नं. 1 पर जमा होने वाले महत्वपूर्ण छोटे लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीड़ासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(1)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा  
(फार्म नं. 17 ग)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीड़ासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(2)

**आम चुनाव - 201.....**

**लोक सभा/विधान सभा**

मतदान प्रारम्भ होने से पहले तथा मतदान समाप्ति के बाद  
पीड़ासीन पदाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  
निर्धारित प्रपत्र में की जाने वाली घोषणाओं।

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीड़ासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 1 पर जमा किया जायेगा।

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(3)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

1. पीड़ासीन अधिकारी की डाकरी एवं अतिरिक्त रिपोर्ट प्रयत्न,  
बनावटी मतदान प्रमाण पत्र एवं विजिट शीट  
2. पीड़ासीन अधिकारी के विशेष अनुदेश की प्रति



# काउन्टर नं. 2 पर जमा होने वाले महत्वपूर्ण छोटे लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा नियोजित में लागू)
2. (ख) विधान सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठारीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)  
चपड़ी से सील करना है।

(7)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त नियिदत्त मतपत्र

## POLLING

1. (क) लोक सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा नियोजित में लागू)
2. (ख) विधान सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठारीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)  
चपड़ी से सील करना है।

(8)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

प्रयुक्त नियिदत्त मतपत्र एवं सूची (फार्म 17 ख)

## POLLING

1. (क) लोक सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा नियोजित में लागू)
2. (ख) विधान सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(11)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

मतदान अधिकारी (पोलिंग एंबेन्ट्स) की नियुक्ति के प्रमाण  
(प्रस्तुति - 10)

कुल संख्या.....

## POLLING

1. (क) लोक सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा नियोजित में लागू)
2. (ख) विधान सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठारीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(12)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

1. इलेक्शन इयूटी सर्टिफिकेट (फार्म-12 ख)

## POLLING

1. (क) लोक सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा नियोजित में लागू)
2. (ख) विधान सभा नियोजित केंद्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठारीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(13)

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

चैलेंज बोट्स लिस्ट फार्म (14) में सूची



# काउन्टर नं. 1 पर जमा होने वाले महत्वपूर्ण छोटे लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(14)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अन्ये और अपाहिज मतदाताओं के साथी द्वारा घोषणा  
एवं अन्ये और अपाहिज मतदाताओं की (फार्म-14 क) सूची

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(15)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

निर्वाचकों द्वारा आयु के संबंध में प्राप्त घोषणा एवं उनकी सूची  
(संलग्नक-XI)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(16)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

चुनौती दिये गये मतों की प्राप्ति चुनिका एवं नकद राशि, यदि कोई हो।

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(17)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त कागजी मोहरें  
(अन्यूज एंड डेमेज ऐपर सील्स)

1. कुल संख्या अप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.....

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(18)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त विशेष टेम्स  
(अन्यूज एंड डेमेज स्पेशल टेम्स)

1. कुल संख्या अनुप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.....

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
4. मतदान की तारीख
5. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

**(19)**

आम चुनाव - 201.....

## लोक सभा/विधान सभा

अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील्स  
(अन्यूज एंड डेमेज स्ट्रीप सील्स)

1. कुल संख्या अप्रयुक्त.....
2. कुल संख्या क्षतिग्रस्त.....



# महत्वपूर्ण बड़े लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन शेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)  
चपड़ी से सील करना है।

(4)

## आम चुनाव - 201..... लोक सभा/विधान सभा

निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति  
(मार्कड कापी आफ इलेक्ट्रोल रोल्स एवं  
सी.एस.वी.एस. (CSVs) की सूची)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन शेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(5)

## आम चुनाव - 201..... लोक सभा/विधान सभा

अभिलिखित मतों की पंजिका (मतदाता रजिस्टर)

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन शेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागु)
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक
3. मतदान की तारीख
4. पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 1 में रखें)

चपड़ी से सील करना है।

(6)

## आम चुनाव - 201..... लोक सभा/विधान सभा

मतदाता की पर्चिंयाँ



# महत्वपूर्ण बड़े लिफाफे

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
- .....
1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
.....
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक  
.....
3. मतदान की तारीख  
.....
4. पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
.....

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(9)

आम चुनाव - 201.....

**लोक सभा/विधान सभा**

अप्रयुक्त, मतदाताओं की पर्चियाँ एवं एड्स टैग

## POLLING

1. (क) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
(केवल लोक सभा निर्वाचन में लागू)
- .....
1. (ख) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक  
.....
2. मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक  
.....
3. मतदान की तारीख  
.....
4. पीठसीन अधिकारी के हस्ताक्षर  
.....

काउन्टर नं. 2 पर जमा किया जायेगा। (पैकेट 2 में रखें)

चपड़ी से सील नहीं करना है।

(10)

**आम चुनाव - 201.....**  
**लोक सभा/विधान सभा**

निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियाँ  
(चिन्हित प्रति के अतिरिक्त)



2019

# सामग्री संकलन

राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय,  
बीकानेर में विधानसभावार स्थापित  
क्रमशः तीन काउण्टरों पर समस्त  
सामग्री संकलित की जाएगी।



संकलन व सम्पादन  
जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, बीकानेर

Pawan Kumar Chohil

Dr. Shamindra Saxena

Dr. Vipin Saini

Dr. Y.B. Mathur

Er. S.L. Rathi



**सादर धन्यवाद**